किसान कर्जदारी मुक्ति विधेयक, २०१८

अनुच्छेद क्रम

अध्याय १ : प्रारम्भिक : शीर्षक, विस्तार/दायरा और परिभाषाएं

१. लघु शीर्षक, विस्तार/दायरा और शुरूआत/सूत्रपात

२. परिभाषाएं

अध्याय २ : एक वक्ती तत्काल कर्ज माफी

३. एक बारगी तत्काल और पूर्ण कर्ज माफी पाने का किसान का अधिकार

अध्याय ३ : सांस्थानिक कर्जा सुगम रहने का अधिकार

४. सांस्थानिक कर्जा हासिल करने का हर किसान का अधिकार

अध्याय ४ : संकट और आपदा से प्रभावित किसानों के लिए कर्जा माफी

५. संकट और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए कर्जा माफी

अध्याय ५ : राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग/ नेशनल फार्मर्स डिस्टेस एण्ड डिजास्टर रिलीफ कमीशन

६. आयोग का गठन

७. आयोग की शर्तें

८. राष्टीय आयोग का दायरा

९. सरकार संकट से प्रभावित इलाकों या संकट से प्रभावित फसलों को अधिसूचित करेगी

१०. संकट से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु आदेश के प्रावधान

११. नागरिक अदालत के अधिकार

१२. आयोग की बैठकें

१३. संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ कार्रवाई पर बन्दी और निषेधाज्ञा/मनाही–हुक्म

१४. पारदर्शी कामकाज/कार्यपद्धति और संसद के सामने सालाना रिपोर्ट की प्रस्तुति

१५. लेखाजोखा और हिसाब–किताब की जांच

अध्याय ६ : राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग

१६. राज्य किसान संकट औरप आपदा राहत आयोग की स्थापना

१७. राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग का गठन

१८. राज्य आयोग की शर्तें

१९. राज्य आयोग के अधिकार और कार्य

२० संकट प्रभावित इलाका या संकट प्रभावित फसल की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना

२१. राज्य आयोग की बैठकें

२२. संकट प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु राज्य आयोग की तरफ से आदेश देने हेतु प्रावधान

२३. राज्य आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ कार्रवाई पर बन्दी और निषेधाज्ञा/मनाही–हुक्म

२४. पारदर्शी कामकाज/कार्यपद्धति और राज्य विधायिका के सामने सालाना रिपोर्ट की प्रस्तुति

२५. राज्य आयोग से सम्बधित लेखाजोखा और हिसाब–किताब की जांच

अध्याय ७ : केन्द्र सरकार के कर्तव्य

२६. केन्द्र सरकार के कर्तव्य

२७. संपत्ति की जब्ती से छूट और दंडात्मक सूद और अत्यधिक संचयी सूद पर पाबन्दी

२८. कुछ राज्य सरकारों के लिए मॉडल अधिनियम का निर्माण

२९. प्राथमिकता क्षेत्र के आधार पर कर्जा देने के नियमों में संशोधन और अनुपालन को सुनिश्चित करना

३०. प्रभावी आपदा राहत और बीमा नियोजन

३१. कम कीमत की पारिस्थितिक/इकोलोजिकल खेती को बढ़ावा

अध्याय ८ : विविध

३२. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

३३. दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र का वकील संघ/बार

३४. आयोग के सदस्य और कर्मचारी जो सार्वजनिक सेवक कहे जा सकते हैं

३५. अच्छी नियत से की गयी कार्रवाई में सुरक्षा

३६. कठिनाइयों को हटाने का अधिकार

३७. नियमों को बनाने का अधिकार

किसान कर्जदारी मुक्ति विधेयक, २०१८

द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम इनडेबटेडनेस बिल, २०१८

कर्जदार किसानों को एक बार तत्काल पूर्ण कर्ज माफी देने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधेयक ; संस्थागत कर्जा पाने का अधिकार सभी किसानों को मिले ; प्राकृतिक आपदाओं या संकटों से पीड़ित किसानों को कर्ज के शिकंजे से बचने के लिए प्रावधान ; आपदाओं और संकट से किसानों को राहत देने के लिए पंचाट/अधिनिर्णय/एवार्ड पारित करने हेतु और उचित कदमों की सिफारिश करने के अधिकारों के साथ राष्टीय और राज्य आयोगों का गठन ; और इसी से जुड़े तथा प्रासंगिक मामले।

.....

आमुख/भूमिका/प्रस्तावना

जबकि अन्न सुरक्षा और अन्न संप्रभुता के लिए राष्ट किसानों का ऋणी है ;

जबकि हजारों किसान हर साल खेती के संकट और इससे जुड़ी कर्जदारी के चलते पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, जो संख्या विगत बीस वर्षों में तीन लाख तक पहुंची है ;

और जबकि सरकार संविधान की धारा २१ के तहत, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए और संकट से बचाने के लिए बाध्य है, खासकर इस

वजह से क्योंकि किसानी में खुदकुशियों का मसला सरकारी नीतियों से जुड़ा है ;

और जबकि भारत के संविधान की धारा २१ के तहत जीवनयापन का अधिकार जीवन के अधिकार का आवश्यक हिस्सा है ;

और जबकि, खेती उत्पादों की कीमतों को नीतिगत कदम के तौर पर कम रखा गया है जहां उसकी मार्केटिंग में तमाम नियम लगाए गए हैं, और राष्टीय किसान आयोग द्वारा की गयी सिफारिश, कि फसल की समग्र लागत के उपर ५० मुनाफा लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, पर पिछले बारह साल से अमल नहीं हुआ है जिसने खेती से किसानों की खालिस आमदनी को विपरीत ढंग से प्रभावित किया है जो बात आधिकारिक सर्वेक्षणों में भी स्पष्ट हो रही है, जहां किसानों के विशाल बहुमत की खालिस आमदनी नकारात्मक है, जिससे किसानों के पास संचित कर्जों की स्थिति उजागर होती है ;

और जबकि आनेवाली सरकारों ने समग्रता में संस्थागत कर्जा प्रदान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है, खेतिहरों की विभिन्न श्रेणियों – जिनमें भूमिहीन और पटटेदार किसान, महिला किसान और आदिवासी किसान – को पूरी तरह मान्यता नहीं दी है और उनका पूर्ण समावेशन नहीं किया है, न प्रभावी फसल बीमा योजनाओं को लागू किया है और आपदा राहत कदमों पर अमल किया है , न ऐसे कदम उठाए हैं कि लागत मूल्य नियंत्रण में रहे, न अत्यधिक निवेश वाली खेती से दीर्घकालिक/सतत खेती की तरफ बड़े पैमाने पर संक्रमण किया है , और न ही अवरचना/इनफरास्क्टचर/का निर्माण किया है, इन सभी के चलते किसानों को घाटा उठाना पड़ा है तथा जिससे किसान कर्जे में फंसते चले गए हैं ;

और जबकि, देश के तमाम जिले और फसलें कृषिगत संकट के चलते गंभीर विपत्ति में फंसे हैं और जिसने तमाम किसानों को वित्तीय तौर पर तबाह किया है और खुदकुशियों को बढ़ावा दिया है ;

और जबकि, अदालतों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकारियों के सामने किसानों द्वारा लिए गए कर्जो की वापसी के लिए तमाम मुकदमे और अन्य कार्रवाइयां शुरू की गयी हैं, और साथ साथ ही ऋणदाताओं द्वारा तरह तरह की प्रताडना और सार्वजनिक तौर पर लांछन लगाना चल रहा है;

और जबकि, यह वांछनीय है कि ऐसे किसान जो कर्जदारी के चलते संकट में फंसे हैं उन्हें – सभी किसानों को एक बारगी तत्काल और पूरी तरह कर्जामुक्ति दिला कर – राहत प्रदान की जाए ;

और जबकि यह आवश्यक है कि संस्थागत कर्जा प्रदान करने की प्रणाली को सुधारा जाए ताकि भविष्य में ऋण के शिकंजे से फंसने से किसानों को बचाया जाए, सभी श्रेणी के किसानों के लिए संस्थागत कर्जा पाने के अधिकार को सुगम बना कर और आपदा और संकट के चलते नुकसान झेल रहे किसानों को कर्ज के शिकंजे से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए ;

और जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सातवीं अनुसूचि की पहली सूचि की प्रविष्टि ४५ /केन्द्र की सूचि/ और सातवीं अनुसूचित की दूसरी सूचि की प्रविष्टि ३० /राज्य सूचि/ के सामंजस्यीकरण के लिए दिशानिर्देश दिए हैं ;

और जबकि कृषिगत संकट और किसानों की कर्जदारी को लेकर तथा जलवायु परिवर्तन के चलते प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को मामला पूरे देश के विभिन्न राज्यों में एक जैसा ही है और जिसे राष्टीय स्तर पर सम्बोधित करने की जरूरत है, जिसके लिए केन्द्र से संसाधन सहायता करने और उसे राज्य तथा केन्द्र दोनों स्तरों पर अमल करने की जरूरत है ;

और इसलिए, गणतंत्र के ६८ वें वर्ष में इसे कानून का रूप दिया जाता है :

विधेयक कमांक २०१८

किसान कर्जदारी मुक्ति विधेयक २०१८

कर्जदार किसानों को एक बार तत्काल पूर्ण कर्ज माफी देने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधेयक ; संस्थागत कर्जा पाने का अधिकार सभी किसानों को मिले ; प्राकृतिक आपदाओं या संकटों से पीड़ित किसानों को कर्ज के शिकंजे से बचने के लिए प्रावधान ; आपदाओं और संकट से किसानों को राहत देने के लिए पंचाट/अधिनिर्णय/एवार्ड पारित करने हेतु और उचित कदमों की सिफारिश करने के अधिकारों के साथ राष्टीय और राज्य आयोगों का गठन ; और इसी से जुड़े तथा प्रासंगिक मामले।

इसे भारतीय गणतंत्र के ६८ वें वर्ष में भारतीय संसद द्वारा इस तरह कानून का रूप दिया जाता है :

अध्याय १

प्रारंभिक : शीर्षक, दायरा और परिभाषा

१

लघु शीर्षक, विस्तार/दायरा और शुरूआत/सूत्रपात

१/ इस अधिनियम को **किसान कर्जदारी मुक्ति विधेयक २०१८** कहा जाएगा ।

२/ राष्टपति की सहमति मिलने के तत्काल बाद यह अस्तित्व में आएगा।

३/ यह पूरे भारत के लिए लागू है

२. इस अधिनियम के अन्तर्गत, जब तक सन्दर्भ स्पष्ट न हो,

व्याख्याएं

क/''कृषि'' का मतलब है मौसमी और सालाना फसलों की खेती, चिकित्सकीय पौधों, फसलों, अंतरफसलों की खेती और उनका पोषण, फसलें और अंतरफसलें, बाग़ान फसलें जैसे नारियल, वैनिला और मसाले, कंद सुपारी, वैनिला और काली मिर्च, टैपिओका फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, लघु जंगल उत्पादन, मछली पालन, फूलों का उत्पादन, घास, जानवरों के लिए घास और पेड़ या मिटटी में किसी किस्म की फसलें, नर्सरी को बढ़ावा, मछली और शंबुक, मधुमक्खियां, रेशमी कीड़ें, मुर्गीपालन, बतखपालन, गाय भैंस या सूअर या अन्य किसी किस्म की बुनियादी उत्पादन गतिविधि

ख/ ''कृषि विशेषज्ञ'' में शामिल है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कृषि संबंधी क्षेत्रों में – जिसमें कृषि के लिए नीतिनिर्धारण, प्रबंधन या कृषि के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर काम जिसमें ग्रामीण बैंकों की सेवाएं भी उपलब्ध रहती हैं – काम करने का कमसे कम १५ साल का अनुभव है ;

ग/ ''आयोग'' का अर्थ है राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग / नेशनल फार्मर्स डिस्टेस एण्ड डिजेस्टर रिलीफ कमीशन जिसे इस अधिनियम के अध्याय ५ के अन्तर्गत बनाया गया है ;

घ/ ''ऋण/कर्जा'' का अर्थ ऐसी देनदारी, जिसमें शामिल है कृषि उत्पादन पर व्यय, उत्पादन अवरचना और सेवाओं के सुधार /पशुशाला, पम्प हाउस, खेतीयोग्य मशीनरी और उपकरण, प्रकियायन/प्रोसेसिंग, मूल्ययोग आदि/, घर की बुनियादी जरूरतें, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भले ही सुरक्षित हो या न हो – जो किसान से देय है, भले ही करार के तहत या किसी डिक्री/न्यायिक निर्णय के तहत या किसी अदालत या न्यायाधिकरण/टिब्युनल के आदेश के तहत और जिसमें शामिल होते हैं :

ऐसी कोईभी रकम जो देय हो

क/ एक संस्थागत कर्जदाता

ख/ एक निजी कर्जदाता ;

मगर जिसमें शामिल नहीं होती कर्जे की ऐसी कोईभी रकम जो किसान द्वारा व्यावसायिक कारणों से ली गयी हो या जो कृषि या अन्य जुड़े उददेश्यों के अलावा विलासिता के लिए इस्तेमाल की गयी हो

च/''जिला'' का अर्थ होता है राजस्व जिला;

छ/''संकट प्रभावित इलाका'' का अर्थ होता है राजस्व जिला या जिले या राज्य के राज्यों के कुछ हिस्से या समूचे देश के हिस्से, जिन्हें इस अधिनियम की धारा ८ और १६ के तहत, केन्द्रीय या राज्य आयोगों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा घोषित किया गया हो, जहां किसान प्राकृतिक आपदा, कीट या रोगों के चलते फसल की बरबादी, बड़े पैमाने पर मिलावटी/नकली निविष्ट, जंगली जानवरों द्वारा की गयी व्यापक बरबादी

के चलते गहरा संकट, कीमतों में भारी गिरावट और ऐसे ही कारणों के चलते किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हों ;

ज/''संकटग्रस्त किसान'' का अर्थ है ऐसा किसान जिसे आयोग /राष्टीय या राज्य/ द्वारा घोषित किया गया हो या कोईभी किसान जो आयो द्वारा घोषित किए गए संकट प्रभावित इलाके में खेती करता हो, या जो आयोग द्वारा घोषित संकट प्रभावित फसल की खेती करता हो ;

झ/ ''किसान'' मतलब ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय रूप से फसलों को उगाने की आर्थिक और/या जीवनयापन की गतिविधि में मुब्तिला हो, या जो अन्य प्राथमिक कृषि सामानों के – जमीन की मिल्कियत के साथ या उसके बिना – उत्पादन में लगा हो, और जिसमें शामिल होते हैं सभी कृषि जोतदार, खेतीहर, बटाईदार, पटटेदार किसान, आदिवासी किसान, खेत मजदूर, मुर्गीपालन और पशुधन पालक, मछुआरे, मधुमक्खीपालक, चरवाहे/गडेरिये, बाग़ान की फसलों के गैरकार्पोरेट बाग़ान मालिक और बाग़ान के मजदूर तथा जंगली उत्पाद इकटठा करनेवाले। किसान में शामिल होते हैं महिला किसान और स्वयं–सहायता समूह जो खेती में लगे हैं – जो सामूहिक तौर पर मिल्कियत की है या पटटे पर ली गयी है।

ट/''वित्तीय संस्थान'' का अर्थ ऐसी कोई वित्तीय संस्था जिसे किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम के तहत या मातहत बनाया गया हो, जो उस वक्त सक्रिय हो और वह सरकार के पास पंजीकृत हो, जिसमें गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं ;

ठ/''सरकार'' का मतलब है केन्द्रीय सरकार ;

ढ/ ''संस्थागत कर्जदाता'' का मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी सोसायटीज, गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थान, लघु वित्त संस्थान और जिसमें शामिल है स्टेट बैंक आफ इंडिया या अन्य सहयोगी बैंक जो स्टेट बैंक आफ इंडिया /सहयोगी बैंक/अधिनियम, १९५६ या अन्य अनुसूचित बैंक की धारा २ के अनुच्छेद /के/ के तहत शुमार होते हों ;

ण/ ''सूद/ब्याज'' का मतलब ऐसी कोई रकम जो उधार ली गयी मूल रकम से अतिरिक्त देय हो या उससे मिला माली लाभ, भले इस रकम को जिस नाम से भी सम्बोधित किया जाता हो, भले ही इसे दस्तावेज या करारनामा – अगर वह मौजूद है – तो उसमें स्पष्टतः उल्लेखित किया गया हो या नहीं हो ;

त/ ''सदस्य'' का मतलब आयोग /राष्टीय या राज्य/ का सदस्य और इसमें शामिल है उसके चेअरपरसन;

थ/ ''दंडात्मक सूद'' का अर्थ है ऐसी कोईभी रकम जो कर्ज पर लिए गए सूद से अधिक देय हो '

द/''नियत/निर्धारित'' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत निर्धारित ;

ध / ''मूल रकम'' का मतलब वह राशि जिसे शुरूआत में दी गयी धनराशि के साथ दिया गया हो, अगर वह दी गयी हो, और उसके बाद दी गयी हो, ...बावजूद किसी ऐसे अनुबंध/शर्त के किसी सूद को पूंजी

(q) “Principal amount” means the amount originally advanced together with the amount, if any, as has been subsequently advanced, notwithstanding any stipulation to treat any interest as capital and notwithstanding that the debt has been renewed, whether by the same farmer or by his/her heirs, assignees, or legal representatives or by any other person acting on his/her behalf or on his/her interest, and whether in favour of the same creditor or his/her heirs, assignees or legal representatives or of any other person acting on his/her behalf or in his/her interest;

न/ ''निजी कर्जदाता'' का अर्थ है ऐसा कोईभी व्यक्ति जो पैसे उधार देता हो, भले ही लाईसेन्स के मातहत या नहीं, जो कर्ज को लागत एवं उपकरणों के रूप में प्रदान करता हो, और उसके वंशज, कानूनी प्रतिनिधि ा, संपत्ति भागी और ऐसा कोईभी व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो ;

प/ ''उत्पादन ऋण'' का अर्थ छोटी कालावधि के लिया गया कर्जा जिसे किसी कृषि उत्पाद के निर्माण की दैनंदिन कीमतों के लिए लिया गया हो ;

फ/ ''सचिव'' का मतलब आयोग का सचिव, जिसे राष्टीय स्तर पर धारा ६/६/ के तहत और धारा १७/६/ के तहत नियुक्त किया गया हो;

ब/ '''राज्य आयोग'' का मतलब राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग जिसे अधिनियम के अध्याय ६ के तहत स्थापित किया गया हो ।

अध्याय २

एक वक्ती तुरंत कर्जमुक्ति

३

१. हर किसान, जिसमें धारा २/१/ में शामिल सभी श्रेणियां है, वह हकदार होगा तत्काल और बिनाशर्त कर्जामुक्ति के उस पूरी रकम के – जो धारा २ /डी/ के अन्तर्गत परिभाषित संस्थागत कर्जे में शुमार होती हो – जो १ अप्रैल २०१८ को उसके नाम अंकित हो ;

एक बारगी तत्काल और पूर्ण कर्जामुक्ति का किसान का अधि ाकार

२. किसान जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में – जिसे उपधारा १ के तहत कटआफ कालावधि कहा गया हो – अपने कर्ज का भुगतान किया हो, उनके खाते में जितनी फसल उगायी गयी है और उसके उपर जिस सूद का भुगतान किया गया है, उतनी ही राशि अधिनियम के लागू होने के तीन माह के अन्दर जमा हो जाएगी।

३. अधिनियम के लागू हो जाने के तीन माह के अन्दर सरकार एक ही किश्त में कर्जा मुक्ति पर अमल करेगी।

४. सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कर्जामुक्ति पर अमल करने के चलते सभी किसानों को नए मौसम में ताजे कर्ज मिल सकें;

५. सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी ताकि वह सहकारी बैंकों के जरिए कर्जमुक्ति पर अमल कर सके ;

६. धारा २/डी/ के तहत किसानों के सभी निजी कर्जे –उपधारा /१/ में उल्लेखित तारीख से – निरर्थक हो जाएंगे, किसान के खिलाफ मूलराशि या सूद के लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी, परंतु, क/ निजी कर्जदाता ऐसे कर्जे की मूलराशि की वसूली के लिए – यह साबित करके कि यह कर्जा दिया गया था, तयशुदा प्रकिया के तहत – सरकार से दावा कर सकता है; उसका यह दावा नियत जरूरतों एवं सीमाओं के तहत लागू होगा, बशर्ते वह किसान से फिर कर्जे की वसूली न करे ; ख/ अधिनियम के लागू होने के तत्काल बाद सरकार इस किस्म की अधिसूचना जारी करेगी ;

७. अधिनियम की शुरूआत के तीन माह के अन्दर ही सरकार किसान खुदकुशी परिवारों को राहत दिलाने के लिए प्राथमिकता आधार पर विशेष कदम उठाएगी, जिसमें शामिल होंगे /क/ बकाया कर्जे से पूरी मुक्ति, /ख/ कर्जे के ऐवज में किसी संस्थागत या निजी कर्जदाता द्वारा जब्त की गयी या संलग्न की गयी जमीन, उपकरण या अन्य कोई परिसम्पत्ति की वापसी, और निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत उचित जीवनयापन सहायता

अध्याय ३

संस्थागत कर्जे सुगम बनाने का अधिकार

४

संस्थागत कर्जे की सुगमता का हर किसान का अधिकार

१. हर किसान, जिसमें धारा २/१/ में परिभाषित सभी श्रेणियां शामिल हैं, वह सूद की कम दर पर संस्थागत कर्जदारों से उत्पादन कर्जे के लिए हकदार होंगे ;

बशर्ते

क/ उत्पादन हेतु एक लाख रूपए तक का कर्जा शून्य सूद की दर पर उपलब्ध होगा ;

ख/फसल उगाने के लिए उत्पादन कर्जे की राशि – फसल के हिसाब से तय पैमानों से निर्धारित होगी जिसमें उपभोग हेतु कर्जे का भी छोटा हिस्सा शामिल होगा ;

ग/

२. हर खेतिहर, जो पटटेदार किसान, किरायेदार किसान, बंटाईदार, महिला किसान, आदिवासी किसान या ऐसी श्रेणी का किसान जो जमीन के एक भाग पर फसल उगाने में लगा है मगर उसके पास जमीन की मिल्कियत नहीं है, उसे पंजीकृत किया जाएगा और इस अधिनियम के लागू होने के छह माह के अन्दर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा ;

बशर्ते

क/खेतिहर उपधारा /१/ के अन्तर्गत उत्पादन कर्जे का हकदार होगा, जिसके लिए उसे – फसल को गिरवी रखने के अलावा – किसी आनुषंगिक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी ;

ख / किसान क्रेडिट कार्ड, तयशुदा प्रकिया के तहत कमसे कम पांच सालों के लिए जारी किया जाएगा और जिसका पांच साल के बाद नवीनीकरण किया जा सकेगा या उसे वैधता की कालावधि में ही संशोधित किया जा सकेगा,

अध्याय ४

संकट और आपदा से प्रभावित किसानों के लिए कर्ज राहत

५.

१. जब सरकार कोई प्राकृतिक आपदा या संकट का ऐलान करती है, तब किसान फसल की हानि या अन्य उत्पादन की हानि के लिए सरकार से राहत पाने का हकदार होगा – जिस हद तक उसका नुकसान हुआ है – तथा एक माह के अन्दर नए मौसम के लिए ताजे कर्ज भी जारी किए जा सकेंगे ; इसमें यह बात जोड़ी जा सकती है कि

क/ उत्पादन हेतु लिए गए कर्जों के अलावा लिए गए अन्य कर्जे तीन साल के लिए पुनर्निर्धारित होंगे जहां सूद की दर २ फीसदी से अधिक नहीं होगी;

ख / ऐसे किसानों के मामलों में जो लगातार दो साल तक आपदा का शिकार हुए हैं, सरकार बाध्य होगी कि उनके कर्जे को पूरी तरह माफ किया जाए ;

२. जैसा कि अध्याय ५ और ६ में स्पष्ट किया गया है कि एक राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग का गठन राष्टीय स्तर पर और राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग का गठन राज्य स्तर पर किया

जाएगा, ताकि उन किसानों को कर्जे में उचित राहत मिल सके जो खास इलाके में खास वर्ष में संकट या आपदा की स्थितियों को झेल रहे हैं, तथा जो सभी किसानों तक कर्जे की सुगमता की देखरेख कर सके।

अध्याय ५

राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग

६.

आयोग का गठन

१. अध्याय २, धारा ३ के तहत तत्काल कर्जामुक्ति पर अमल करने के छह माह बाद या इस अधिनियम के लागू होने के बारह माह के अन्दर सरकार, अधिसूचना के जरिए, एक आयोग का गठन करेगी जिसका नाम होगा ''राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग'', ताकि धारा ८ के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों पर अमल किया जा सके, कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके ;

२. आयोग में नौ सदस्य होंगे :

क/ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिव्रत्त न्यायाधीश : चेअरपर्सन

ख / उच्च न्यायालय के सेवानिव्रत्त न्यायाधीश : सदस्य

ग/ तीन कृषि विशेषज्ञ जिसमें कृषि के लिए ग्रामीण बैंकिंग के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे : सदस्य

घ/ किसानों के चार नुमाइन्दे, जिसमें किसान संगठनों के नेता और ऐसे लोग जिन्हें किसानों के मुददों पर काम करने का अनुभव है : सदस्य

च/सहकारी क्षेत्र, किसान उत्पादक संगठनों/प्रोडयूसर कम्पनी या कृषि बैंकिंग के साथ काम किया व्यक्ति : सदस्य

आयोग नामांकित करने के लिए चयन समिति

३. चेअरपर्सन और सदस्यों को चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्टपति द्वारा नामांकित किया जाएगा, चयन समिति १/ प्रधानमंत्री चेअरपर्सन होंगे, २/ विपक्ष के नेता या संसद में सबसे बड़ी पार्टी के अगुआ और ३/ केन्द्रीय कृषि मंत्री शामिल होंगे , जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रचार के बाद सुयोग्य प्रत्याशियों के मार्फत भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार करेंगे ;

बशर्ते किसी ऐसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अपात्र समझा जाएगा अगरप वह सदस्य

क/ किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है और जेल की सज़ा पाया है जिसमें नैतिक अधमता का मामला शामिल था ; या

ख / वह अमुक्त दिवालिया है ; या

ग/ जो असन्तुलित मन का है और किसी सक्षम अदालत द्वारा यह बात कही जा चुकी है ;

घ/ उसे सरकारी नौकरी से या कार्पोरेट मिल्कियतवाली तथा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निकाय से निकाला जा चुका है

च/ या वह ऐसी अपात्रताएं हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा चुकी है ;

प्रतिनिधित्व में विविधता

४. ऐसे नामांकनों में क्षेत्र, जेण्डर, सामाजिक प्रष्ठभूमि – जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति भी शामिल हैं खासकर उपरोल्लेखित उपधारा २ के (iii)-(v) मददेनज़र

हितों की टकराहट नहीं

५. सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कोईभी सदस्य जिसमें चेअरपर्सन भी शामिल है किसी वित्तीय, व्यावसायिक या अन्य हितों की नुमाइन्दगी करता हो जिसका असर आयोग के उसके कार्यों पर पड़ेगा, बशर्ते

यह बात भी स्पष्ट होगी कि किसान संगठन के साथ जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति को महज इसी आधार पर अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा ;

सचिव और अन्य स्टाफ की तैनाती

६. सरकार, जैसे कि जरूरत होगी सचिव और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगी, ताकि आयोग को इस तरह सहायता प्रदान की जा सके, जैसा कि निर्धारित हो, इसके अलावा सभी अवरचनागत सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी – जिसमें दफतर के लिए स्थान तथा अन्य सुविधाएं शामिल होंगी ;

७. अपने कार्यों के निष्पादन में सचिव और अन्य स्टाफ – जिनका उपरोल्लेखित ६ में उल्लेख है – चेअरपर्सन के प्रशासकीय नियंत्रण में होंगे।

७.

आयोग का कार्यकाल

१. आयोग का कार्यकाल पांच सालों का होगा ;

बशर्ते, वर्तमान आयोग की कालावधि की समाप्ति के दस माह पहले सरकार आयोग का पुनर्गठन करेगी और बशर्ते जब तक नया आयोग नियुक्त नहीं होता अस्तित्वमान आयोग तब तक एक साल अधिक काम करेगाः

२. कोई भी सदस्य, अपने हाथों से लिखे और सरकार को सम्बोधित ख़त के जरिए, कभी भी इस्तीफा दे सकता है ;

सदस्यों की रिक्तियां

३. कोईभी ऐसी रिक्ति जो किसी सदस्य के इस्तीफे से बनती है, उसे उपधारा २ के तहत भर लिया जाएगा तथा इस अधिनियम की धारा ६ में दिए गए प्रावधानों को मददेनज़र रखा जाएगा :

बशर्ते इस तरह नियुक्त व्यक्ति – जिस व्यक्ति के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है उसकी कालावधि तक अपने पद पर बना रहेगा ;

४. सरकार किसी सदस्य को निकाल सकती है, अगर वह –

क/ अमुक्त दिवालिया/कर्जदार घोषित किया जाए ;

ख / शारीरिक या मानसिक विकलांगता के चलते अपने पद पर बने रहने के लिए अक्षम बने ;

ग/ असंतुलित मस्तिष्क का बने और सक्षम अदालत द्वारा यह घोषित किया जाए ;

घ/ उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया है, जो सरकार की निगाह में नैतिक अधम्मता या वित्तीय अनियमितताओं का मामला है ;

च/सरकार की निगाह में, उसने अपनी आधिकारिक पद को दुरूपयोग किया हो ताकि उसका वहां बने रहना सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल हो जाए ;

बशर्ते कार्रवाई करने के पहले उपरोक्त व्यक्ति का पक्ष भी सुन लिया जाए ;

कामकाज की प्रणाली

५. पारदर्शिता, सहभागिता, समानता, मुस्तैदी, सम्मान और मूल्य के सिद्धांतों के आधार पर आयोग अपनी खुद की प्रक्रियाओं का नियमन करेगा ;

६. चेअरपरसन और सदस्यों की तनखा और अन्य सेवा शर्ते, जैसे कि निर्धारित होंगी।

८.

राष्टीय आयोग का दायरा और

१. राष्टीय आयोग ऐसे राज्यों में – इस अधिनियम के तहत ऐसे राज्यों में जहां राज्य किसान संकट और

आपदा राहत आयोग या उसका समकक्ष आयोग अस्तित्वमान राज्य कर्ज राहत अधिनियम के तहत सक्रिय नहीं है और ऐसे संकट और आपदा स्थितियों के बारे में जो दो या अधिक राज्यों को प्रभावित करती है और केन्द्र सरकार को किसानों के संकट और आपदा राहत के बारे में सिफारिश करनी है, – उपधारा २ के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के तहत अधिकार का प्रयोग करेगा ;

२. विशेषकर, आयोग के पास अधिकार होंगे

क/ अपने स्तर पर या आवेदन मिलने पर किसी जिला या जिलों को या उनके हिस्सों को संकटप्रभावित क्षेत्र घोषित करे, या किसी फसल या फसलों को संकट प्रभावित फसल घोषित करे, जिसके बाद सरकार बाध्य होगी कि वह आयोग की सिफारिश के तहत संबंधित किसानों को कर्जे में राहत दिलाए ;

बशर्ते,

i/ सिफारिश को ऐसी जांच के बाद किया जा सकेगा जिसमें सक्षम विशेषज्ञों की कमेटी से भी जरूरी विशेषज्ञ सलाह ली जा सकेगी और सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे सामान्य दिशानिर्देशों के दायरों को भी गौर किया जाएगा ;

ii/अपने स्तर पर ध्यान देने या आवेदन मिलने के बाद एक माह के अन्दर आयोग सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा ;

iii/ जब कोई सरकार किसी राज्य के कुछ इलाकों को, जिलों को या जिले के कुछ हिस्सों को प्राकृतिक आपदा या विपदा से प्रभावित घोषित करती है, तो वे इलाके, जिले या जिले के कुछ हिस्सों को इस अधिनियम के तहत आयोग द्वारा संकट प्रभावित इलाके घोषित किया जा सकेगा ;

ख/ किसान को ऐसे सभी मामलों में संकट प्रभावित घोषित करना जहां व्यक्तिगत किसानों ने आयोग के सामने आवेदन भेजे हैं – जब जरूरी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया और नियमों का पालन किया गया, – ऐसे सभी मामलों में जहां ऐसे किसानों के लिए कोई राज्य आयोग न हो जहां आवेदन दिया जा सके ; बशर्ते आयोग अपनी जांच को आवेदन मिलने के तीन माह के अन्दर पूरी कर दे ;

ग/ धारा १० के विशिष्ट निर्देशों की तहत आदेशों को जारी करना ;

घ / धारा ११ के विशिष्ट निर्देशों के तहत दीवानी अदालत के अधिकारों पर अमल करना ;

च/ किसानों या उनके समूहों या संगठनों – जो पंजीकृत हों या गैरपंजीकृत हों – द्वारा भेजे आवेदनों के आधार पर सभी किसानों को संस्थागत कर्जे की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए बने धारा ४ के अमल की देखरेख करना और शिकायतों को दूर करना ;

छ/ सरकार को इस बात की सिफारिश करना कि किस तरह और किस हद तक भविष्य में किसानों को राहत दी जा सकती है ;

ज/ संकटग्रस्त किसानों के गैरसंस्थागत कर्जों की एक बारगी अदला–बदली की प्रणालियों को लेकर सरकार से सिफारिश करना और उसके अमल की देखरेख करना, जहां राज्य आयोग सक्रिय नहीं हैं ;

झ/ सरकार को इस बात की सिफारिश करना कि वह ऐसे मामलों में कार्रवाई करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों की भविष्य की कर्जे की जरूरतें इन्हीं एजेंसियों के जरिए पूरी हो सकें, जैसा कि निर्धारित किया गया हो ;

ट/ किसान ऋणग्रस्तता से सम्बधित किसी भी मामले को लेकर सरकार के पास सामयिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना ;

ठ/किन्हीं सम्बधित मामलों को राज्य आयोग को आगे की जांच के लिए तथा कार्रवाई के लिए संदर्भित करना तथा राज्य आयोग द्वारा राष्टीय आयोग को दी गयी सिफारिशों की पड़ताल करना ; और

ड/ ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना और ऐसे अधिकारों पर अमल करना, जैसा कि निर्धारित है।

६.

संकट प्रभावित इलाका या संकट प्रभावित फसल के बारे में सरकार अधिसूचित करेगी।

जितना जल्दी हो सके उतने, मगर धारा ८/१/ए के तहत सिफारिश मिलने के अधिक से अधिक पन्दरह दिनों के अन्दर, सरकार अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करेगी, एक इलाका या फसल को संकट प्रभावित इलाका या संकट प्रभावित फसल, जैसे कि स्थिति होगी, और इस तरह आयोग के कर्जा राहत के अधिकारों को सक्रिय करेगी ; बशर्ते संकट प्रभावित इलाके में खेती करनेवाले सभी किसान या संकट से प्रभावित फसलों के इलाके में वही फसल उगानेवाले सभी किसान, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत संकट से प्रभावित किसान माना जाएगा ;

१०.

संकट प्रभावित किसानों के राहत के लिए आदेश के प्रावधान

१. इस अधिनियम के तहत कर्जा राहत का दावा करनेवाला किसान वह राष्टीय आयोग के सामने, जिस रूप में और जिस तरह से निर्धारित किया गया हो, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा – अगर राज्य आयोग अस्तित्व में नहीं है या सक्रिय नहीं है – और वह हकदार बनेगा कि उसके खिलाफ कर्जदाताओं की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई पर निषेधाज्ञा मिले जब तक न्यायिक निर्णय नहीं आता ; ऐसे सभी मामलों में जहां राज्य आयोग अस्तित्व में है, किसान उसकी स्थिति को लेकर राज्य आयोग के सामने आवेदन प्रस्तुत करेगा ;

२. हालांकि इस अधिनियम में या किसी अन्य कानून या करार या डिक्री/राजाज्ञाा, या किसी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण की तरफ से जारी किसी आदेश के बावजूद, आयोग या आयोग की पीठ/बेंच आदेश जारी कर सकता है :

क/ सरकार को इसलिए बाध्य करे कि वह किसी व्यक्तिगत संकटग्रस्त किसान या ऐसे सम्बधित किसान जो ऐसी फसलें उगाएं हों जिन्हें संकट से प्रभावित माना गया हो या ऐसे इलाकों में हो जो संकट से प्रभावित माने गए हों, के कर्जे का भुगतान कर्जदाता को /निजी या संस्थागत/ करे, जो अत्यधिक संकट के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर आधारित हो ;

ख/ छोटी कालावधि के कर्जों को मध्यम कालावधि के कर्जों में शून्य सूद दर पर और मध्यम कालावधि के कर्जों को लम्बी कालावधि के लिए अधिक से अधिक दो फीसदी सूद की दर पर पुनर्निर्धारित करे, ऐसे कर्जों के मामलों में जहां किसान ने संस्थागत कर्जदाताओं से कर्ज हासिल किया हो और जो संकटग्रस्त हो या संकटग्रस्त फसल या संकटग्रस्त इलाके से सम्बधित हो ;

ग/ गैरनिष्पादित परिसम्पत्तियों / नानपरफार्मिंग एसेटस की श्रेणी में आनेवाले कृषिगत कर्जों के एक वक्ती निपटारे के लिए जरूरी प्रावधान करे, जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दिशानिर्देशों के हिसाब से हो, बशर्ते किसान ऐसी अदायगी के लिए तैयार है ;

घ / ऐसा कोईभी किसान जिसने लिए कर्जों की मूलराशि लौटा दी हो, उसे कर्ज से मुक्त घोषित किया जाए ;

च/ किसान उस पर जमा कर्जों को मूलराशि को सुविधाजनक छोटे हिस्सों में बांट कर अदा करेगा, और उस पर सूद को सरकार अदा करेगी :

११.

दीवानी अदालत के अधिकार

१. आयोग के पास, इस अधिनियम के तहत मिले अधिकारों के तहत, एक दीवानी अदालत के अधिकार होंगे

जहां वह कोड आफ सिविल प्रोसिजर, १९०८ / १९०८ का केन्द्रीय अधिनियम/ के तहत मुकदमे पर विचार करेगा, जो बात निम्नलिखित मामलों में लागू होगी, जैसे :

क/किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाने और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने और उसे शपथ देकर उसकी जांच पड़ताल करने ;

ख /संकटग्रस्त किसान के खिलाफ किसी भी किस्म की नोटिस जारी नहीं होगी, न कोई दमनात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक तौर पर लांछन लगाने की बात होगी ;

ग/किसी भी दस्तावेजों की खोज और किन्हीं भी दस्तावेजों की प्रस्तुति ;

घ/ शपथपत्र पर सबूत हासिल करना ;

च/गवाहों की पड़ताल ;

छ/ गवाहों की पड़ताल के लिए या स्थानीय जांच के लिए आयोग का हस्तक्षेप ;

ज/ किसी भी संपत्ति या चीज़ की जांच करना जिसके बारे में निर्णय लिया जाना है ;

झ/ किसी भी अदालत, प्राधिकरण या दफतर से कोई भी सार्वजनिक रेकार्ड या उसकी कॉपी की मांग करना;

ट/कोई भी अन्य मामला जिसे निर्धारित किया गया है ।

२. धारा १०/२/ के तहत आयोग द्वारा पारित पंचाट/अधिनिर्णय प्रतिवादी पर बंधनकारी होगा ।

३. धारा १०/२/ के तहत आयोगों के आदेशों को कोड आफ सिविल प्रोसिजर, १९०८ / अधिनियम/ १९०८ का केन्द्रीय अधिनियम ५/ के प्रावधानों के तहत अमल में लाया जाएगा गोया वह दीवानी अदालत की कोई डिक्री हो और उसी तरह, निश्चित कालावधि में कर्जदाता के पास पड़े कर्ज से लेकर जुड़े टाइटिल डीड तथा अन्य दस्तावेजो को किसान को लौटा देना होगा, जो भी स्थिति हो मगर निश्चित समयावधि में इसे पूरा करना होगा ।

क/ आयोग के अधिनिर्णय को एक निश्चित कालावधि के अन्तर्गत, तीस दिन की या अन्यथा, अमल में लाना होगा, जैसा कि हर अधिनिर्णय के साथ स्पष्ट होता है।

४. एक किसान दीवानी अदालत से अमल की डिक्री/आदेश हासिल कर सकता है अगर प्रतिवादी पार्टी समयसीमा का पालन नहीं करती।

१२.

आयोग की बैठकें

१. आयोग अपनी बैठकों को ऐसे स्थानों पर और ऐसे वक्त में आयोजित करेगा जो उसके हिसाब से होगा,

बशर्ते कि आयोग अपनी बैठकों को सम्बधित जिले/जिलों में आयोजित करेगा जिन्हें संकट प्रभावित इलाके घोषित किया गया हो ताकि संकट से प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर गौर किया जा सके ;

२. आयोग की बैठकों का कोरम आम तौर पर पांच होगा, इसमें अपवाद नीचे दी उपधारा ३ होगी ;

३. आयोग जब उसे उचित लगे तब राज्यों या जिलों में बैठकें रखेगा तथा उसके लिए दो या उससे भी अधिक सदस्यों वाली पीठ/बेंच का निर्माण करेगा,

बशर्ते इनमें से एक सदस्य आयोग में किसानों की नुमाइन्दगी करनेवाले प्रतिनिधियों में से हो, जिसे ऐसे पीठ का हिस्सा बनाया जाए ;

१३.

१. संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ – जिसका वर्णन धारा ८ और धारा १०/१/ में किया गया है – किसी भी किस्म का मुकदमा कर्जे की बहाली के लिए नहीं किया जा सकेगा और न ही डिक्री पर अमल हेतु आवेदन पर अमल किया जा सकेगा, और कोईभी अपील, पुनर्विचार याचिका या किसी डिक्री या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन – किसी भी मुकदमे या आवेदन को लेकर प्रस्तुत किया जा सकेगा या किसी किसान के खिलाफ दीवानी अदालत में या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के पास पेश किया जा सकेगा और ऐसे मुकदमे, आवेदन, अपील, याचिकाएं जिन्हें किसान के खिलाफ उस तारीख से पहले दर्ज हुई होंगी जब जिले या उसके हिस्से को संकट प्रभावित इलाका घोषित किया गया हो और अदालत के सामने लंबित होंगी, उन पर तत्काल स्थगनादेश होगा, इतनी कालावधि तक जैसा कि आयोग उसकी तरफ से सिफारिश करे ;

संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ कार्रवाई पर प्रतिबंध और निषेधाज्ञा

२. धारा ८ और धारा १०/१/ में वर्णित संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ, कर्जे की वसूली के लिए, कोईभी नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई दमनात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक तौर पर लज्जित करना संभव होगा।

१४

१. आयोग सभी सम्बधित सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसमें शामिल होंगे कितने आवेदनपत्रों पर गौर किया गया, कितने अधिनिर्णय/पंचाट पारित किए गए, मीटिंगों की या बैठकों की कार्यसूची एवं कार्रवाई और ऐसी ही अन्य सामग्री;

पारदर्शी कार्यप्रणाली और सालाना रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जा सकेगा।

२. आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कामों की उपरोक्त साल की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा – ऐसे रूप में और ऐसी तारीख तक जिसे निर्धारित किया गया हो।

३. जितना जल्दी हो सके, आयोग द्वारा उपधारा /२/ के अन्तर्गत सरकार के सामने प्रस्तुत सालाना रिपोर्ट को संसद के सामने पेश किया जाएगा

१५.

१. आयोग उचित ढंग से लेखाजोखा रखेगा और अन्य जरूरी रेकार्ड भी संभाल कर रखेगा और खातों का साल दर साल वार्षिक वक्तव्य तैयार करेगा, ऐसे रूप में जैसा कि निर्धारित किया गया हो

२. आयोग के हिसाब किताब का सालाना आडिट किया जाएगा और आडिट की रिपोर्ट को संसद के सामने पेश किया जाएगा

अध्याय ६

राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग

१६.

राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग की स्थापना

१. राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग / आगे सिर्फ राज्य आयोग के नाम से संदर्भित/ को इस अधिनियम के तहत हर राज्य में स्थापित किया जाएगा, अपवाद सिर्फ उन राज्यों का होगा जहां इस अधिनियम के शुरू होने से पहले से राज्य किसान कर्ज राहत अधिनियम/ स्टेट फार्मर्स डेब्ट रिलीफ एक्ट/ या उसका कोई समकक्षी अधिनियम अस्तित्व में है, जिसके तहत कर्जा राहत आयोग या समकक्षी संस्था की स्थापना की गयी है।

१७.

१. राज्य सरकार धारा ३ के तहत पूरी और तत्काल कर्ज माफी पर अमल करने के छह माह के बाद और इस

राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग का गठन

अधिनियम के लागू होने के १२ माह के अन्दर ही, राजपत्र में यह सूचना दे देगी कि एक ऐसे आयोग की स्थापना हो रही है जिसका शीर्षक होगा ''राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग'' , ताकि इस अधि ानियम के तहत मिले अधिकारों को अमल में ला सके और कार्यों को अंजाम दे सके।

२. राज्य आयोग नौ सदस्यों से बनेगा, जैसे –

i/ सेवानिव्रत्त हाईकोर्ट जज : चेअरपर्सन

ii/ दो कृषि विशेषज्ञ जिसमें शामिल हों जिसमें शामिल हों खेती के लिए ग्रामीण बैंकिंग के विशेषज्ञ : सदस्य

iii/किसानों के पांच प्रतिनिधि, जिसमें किसान संगठनों के नेता भी शामिल हों और ऐसे लोग हों जिनके बारे में पूरा यकीन हो कि उन्होंने किसानों के मुददे पर काम किया है।

/ सहकारी क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखनेवाला व्यक्ति : सदस्य

३. चेअरपर्सन और सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नामांकित किया जा सकेगा। इस चयन समिति में शामिल होंगे i/राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो चेअरपर्सन होंगे, ii/राज्य विधानसभा में विपक्षी पार्टी के नेता या विपक्ष में मौजूद सबसे बड़ी पार्टी या समूह का नेता और iii/राज्य सरकार के कृषि मंत्री, जो व्यापक प्रचार के बाद पात्र लोगों के आवेदन मंगाएंगे ;

तथापि उस व्यक्ति को सदस्य के तौर पर तब अपात्र समझा जाएगा जब उसने

क/ सरकार ने उसे दोषसिद्ध किया है और उसे एक ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जा रहा है, जिसे अधिक से अधिक नैतिक पतन कहा जा सकता है ।

ख / वह एक अमुक्त दिवालिया है ; या

ग/ असंतुलित मस्तिष्क का है और उसे सक्षम अदालत द्वारा यह घोषित किया गया है ;

घ/ उसे सरकार या किसी ऐसे निकाय से जो कार्पोरेट की मिल्कियत का हो मगर उसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो, निकाल दिया गया हो ; या

च/ उसकी अन्य अपात्रताएं हैं जिसे सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया हो।

४. ऐसे नामांकनों में विविधता का – धर्म, जेण्डर और सामाजिक प्रष्ठभूमि का – जिसमें खासकर अनुसूचित जाति– जनजाति के लोग को ध्यान रखना होगा, खासकर उपधारा २ /ii/iv/ पर गौर करते हुए ;

५ सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कोईभी सदस्य फिर वह चेअरपर्सन हो – किसी वित्तीय, व्यावसायिक और सामाजिक प्रष्ठभूमि के हितों की नुमाइन्दगी नहीं करता हो, जो अपने आप में आयोग में उसके कार्यों को प्रभावित करेगा। सिर्फ इसी आधार पर उसे आयोग से बाहर किया जा सकता है। अब जहां तक किसान संगठनों के साथ जुड़े किसी सदस्य की बात है, तो उसके लिए महज यह शर्त उचित नहीं होगी।

६. सरकार , जैसे कि जरूरत हो, आयोग की सहायता के लिए सेक्रेटरी और अन्य स्टाफ नियुक्त करेगी, जैसा कि निर्धारित हो इसके अलावा सुचारू कार्य के लिए आफिस सुविधाओं और अवरचनागत सुविधाओं का भी इन्तज़ाम करेगी।

७. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के मामले में, सेक्रेटरी और अन्य स्टाफ– जिनका उल्लेख उपधारा ६ में हुआ है – वह चेअरपर्सन के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत रहेंगे।

१. राज्य आयोग का कार्यकाल हर बार ५ साल रहेगा :

राज्य आयोग की शर्तें

बशर्ते, वर्तमान आयोग की कालावधि की समाप्ति के दस माह पहले सरकार आयोग का पुनर्गठन करेगी और बशर्ते जब तक नया आयोग नियुक्त नहीं होता अस्तित्वमान आयोग तब तक एक साल अधिक काम करेगाः

२. कोई भी सदस्य, अपने हाथों से लिखे और सरकार को सम्बोधित ख़त के जरिए, कभी भी इस्तीफा दे सकता है ;

३. कोईभी ऐसी रिक्ति जो किसी सदस्य के इस्तीफे से बनती है, उसे उपधारा २ के तहत भर लिया जाएगा तथा इस अधिनियम की धारा १४ में दिए गए प्रावधानों को मददेनज़र रखा जाएगा :

बशर्ते इस तरह नियुक्त व्यक्ति – जिस व्यक्ति के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है उसकी कालावधि तक अपने पद पर बना रहेगा ;

४. सरकार किसी सदस्य को निकाल सकती है, अगर वह –

क/ अमुक्त दिवालिया/कर्जदार घोषित किया जाए ;

ख / शारीरिक या मानसिक विकलांगता के चलते अपने पद पर बने रहने के लिए अक्षम बने ;

ग/ असंतुलित मस्तिष्क का बने और किसी सक्षम अदालत द्वारा यह घोषित किया जाए ;

घ/ उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया है, जो सरकार की निगाह में नैतिक अधम्मता या वित्तीय अनियमितताओं का मामला है ;

च/सरकार की निगाह में, उसने अपनी आधिकारिक पद को दुरूपयोग किया हो ताकि उसका वहां बने रहना सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल हो जाए ;

बशर्ते कार्रवाई करने के पहले उपरोक्त व्यक्ति का पक्ष भी सुन लिया जाए ;

५. राज्य आयोग पारदर्शिता, सहभागिता, समानता, सम्मान और अहमियत के सिद्धांतों के आधार पर अपनी खुद की प्रक्रियाओं का नियमन करेगा ;

६. चेअरपरसन और सदस्यों की तनखा और अन्य सेवा शर्ते, जैसे कि निर्धारित होंगी।

१६.

१. राज्य आयोग के पास विशेषकर निम्नलिखित अधिकार होंगे

राज्य आयोग के अधिकार और कार्य

क/ अपने आप या आवेदन मिलने पर किसी जिले या जिलों को या उनके हिस्सों को संकट प्रभावित इलाका घोषित करना या किसी फसल या फसलों को संकट प्रभावित फसल घोषित करना और इसके बारे में सरकार को सिफारिश करना और जिसके बाद सरकार बाध्य होगी कि सम्बधित किसानों को – आयोग की सिफारिशों के आधार पर – ऋण राहत प्रदान करेगी।

बशर्ते

i/ सिफारिश को ऐसी जांच के बाद किया जा सकेगा जिसमें सक्षम विशेषज्ञों की कमेटी से भी जरूरी विशेषज्ञ सलाह ली जा सकेगी और सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे सामान्य दिशानिर्देशों के दायरों को भी गौर किया जाएगा ;

ii/अपने स्तर पर ध्यान देने या आवेदन मिलने के बाद एक माह के अन्दर आयोग सरकार को अपनी कक सिफारिश भेजेगा ;

iii/ जब कोई सरकार किसी राज्य के कुछ इलाकों को, जिलों को या जिले के कुछ हिस्सों को प्राकृतिक आपदा या विपदा से प्रभावित घोषित करती है, तो वे इलाके, जिले या जिले के कुछ हिस्सों को इस अधिनियम के तहत आयोग द्वारा संकट प्रभावित इलाके घोषित किया जा सकेगा ;

ख/ निजी कर्जो के मामले में सिफारिश देने के सन्दर्भ में, राज्य सरकार को चाहिए कि वह कानूनी कदम उठाए ताकि ऐसे किसानों को ऐसे कर्जों से मुक्ति दिलायी जा सके, जहां राज्य सरकार – जैसे ही उसके पास यह अनुशंसा/संस्तुति पहुंचती है, उसके तत्काल बाद एक माह के अन्दर, यह अधिसूचित करे कि ऐसे सभी निजी कर्जे अब शून्य और निरर्थक हो गए हैं ;

ग/ धारा २२ के विशिष्ट निर्देशों की तहत आदेशों को जारी करना ;

घ / किसानों या उनके समूहों या संगठनों – जो पंजीकृत हों या गैरपंजीकृत हों – द्वारा भेजे आवेदनों के आधार पर सभी किसानों को संस्थागत कर्जे की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए बने धारा ४ के अमल की देखरेख करना और शिकायतों को दूर करना ;

च/ संकटग्रस्त किसानों के गैरसंस्थागत कर्जों की एक बारगी अदला–बदली की प्रणालियों को लेकर सरकार की देखरेख करना ;

छ/ किसान ऋणग्रस्तता से सम्बधित किसी भी मामले को लेकर सरकार के पास सामयिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना ;

ज/ राष्टीय आयोग के पास विशिष्ट सिफारिशें करना ;

झ/संकटग्रस्त किसानों के जीवनयापन के लिए अन्य कोई कदम बढ़ाना ।

ट/ ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना और ऐसे अधिकारों पर अमल करना, जैसा कि निर्धारित है।

२. धारा २२ के तहत राज्य आयोग द्वारा पारित अधिनिर्णय प्रतिवादी पर बाध्य होगा ,

३/ऐसा अधिनिर्णय ऋणग्रस्त किसान द्वारा भेजे गए आवेदन के मिलने के छह माह के अन्दर ही पारित करना पड़ेगा , जिसमें दस्तावेजों की छानबीन तीस दिनों के भीतर सम्पन्न होगी और पहली सुनवाई साठ दिन के अन्दर होगी।

४. राज्य सरकार के अधिनिर्णय धारा २२ के तहत अमल में आएंगे जहां वह कोड आफ सिविल प्रोसिजर, १९०८ / १९०८ का केन्द्रीय अधिनियम/ के तहत प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होंगे गोया वह दीवानी अदालत की डिक्री हो। टाइटल डीड या अन्य कोई भी दस्तावेज जो कर्जे से जुड़े हैं, जो कर्जदाता के पास पड़े हैं, उन्हें किसान को निश्चित समय के अन्दर लौटाना होगा

क/ राज्य आयोग के अधिनिर्णय तीस दिन की निश्चित कालावधि में या अन्यथा, अमल में आएंगे, जैसा कि हर अधिनिर्णय में स्पष्ट किया गया है ;

ख / एक किसान किसी दीवानी अदालत से कार्यान्वयन डिक्री पा सकता है अगर प्रतिवादी पार्टी समय सीमा का ध्यान नहीं रखती है ;

५. राज्य आयोग, जिसे इस अधिनियम के तहत दीवानी अदालत के अधिकार मिले हैं, जब वह कोड आफ सिविल प्रोसिजर, १९०८ /१९०८ का केन्द्रीय अधिनियम ५/ के तहत मुकदमे का निपटारा करेगा, जो बात

निम्नलिखित मामलों में लागू होगी, जैसे :

क/किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाने और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने और उसे शपथ देकर उसकी जांच पड़ताल करने ;

ख /संकटग्रस्त किसान के खिलाफ किसी भी किस्म की नोटिस जारी नहीं होगी, न कोई दमनात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक तौर पर लांछन लगाने की बात होगी ;

ग/किसी भी दस्तावेजों की खोज और किन्हीं भी दस्तावेजों की प्रस्तुति ;

घ/ शपथपत्र पर सबूत हासिल करना ;

च/गवाहों की पड़ताल ;

छ/ गवाहों की पड़ताल के लिए या स्थानीय जांच के लिए आयोग का हस्तक्षेप ;

ज/ किसी भी संपत्ति या चीज़ की जांच करना जिसके बारे में निर्णय लिया जाना है ;

झ/ किसी भी अदालत, प्राधिकरण या दफतर से कोई भी सार्वजनिक रेकार्ड या उसकी कॉपी की मांग करना;

ट/कोई भी अन्य मामला जिसे निर्धारित किया गया है ।

राज्य सरकार संकट प्रभावित इलाका और संकट प्रभावित फसल अधिसूचित करेगी।

२०. जितना जल्दी हो सके उतने, लेकिन धारा १६/१/ए/ के तहत मिली अनुशंसा के अधिकतम १५ दिनों के अन्दर, सरकार राजपत्र में अधिसूचित करेगी, किसी खास इलाके या फसल को संकट प्रभावित इलाका या संकट प्रभावित फसल, जैसी कि स्थिति होगी, और इस तरह आयोग की कर्जा राहत अधिकारों का आगाज़ करेगी ; बशर्ते सभी किसान जो संकट प्रभावित इलाकों में खेती कर रहे हैं या संकट प्रभावित फसल की खेती कर रहे हैं, उन सभी को इस अधिनियम के तहत संकट प्रभावित किसान समझा गया है ;

२१.

राज्य आयोग की बैठकें

१. आयोग अपनी बैठकों को ऐसे स्थानों पर और ऐसे वक्त में आयोजित करेगा जो उसके हिसाब से होगा,

बशर्ते कि आयोग अपनी बैठकों को सम्बधित जिले/जिलों में आयोजित करेगा जिन्हें संकट प्रभावित इलाके घोषित किया गया हो ताकि संकट से प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर गौर किया जा सके ;

२. आयोग की बैठकों का कोरम आम तौर पर पांच होगा ;

३. आयोग जब उसे उचित लगे तब जिलों में बैठकें रखेगा तथा उसके लिए दो या उससे भी अधिक सदस्यों वाली पीठ/बेंच का निर्माण करेगा,

बशर्ते इनमें से एक सदस्य आयोग में किसानों की नुमाइन्दगी करनेवाले प्रतिनिधियों में से हो, जिसे ऐसे पीठ का हिस्सा बनाया जाए ;

बशर्ते राज्य आयोग द्वारा गठित पीठ पर मीटिंग का कोरम या तो बेंच के सभी सदस्य होंगे या दो होगा, इनमें से जो आंकड़ा कम होगा।

२२.

१. इस अधिनियम के तहत कर्जा राहत का दावा करनेवाला राज्य का वह किसान वह राज्य आयोग के सामने, जिस रूप में और जिस तरह से निर्धारित किया गया हो, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा और वह हकदार बनेगा कि उसके खिलाफ कर्जदाताओं की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई पर निषेधाज्ञा मिले जब तक न्यायिक

निर्णय नहीं आता ; ऐसे सभी मामलों में जहां राज्य आयोग अस्तित्व में है, किसान उसकी स्थिति को लेकर राज्य आयोग के सामने आवेदन प्रस्तुत करेगा ;

२. हालांकि इस अधिनियम में या किसी अन्य कानून या करार या डिक्री/राजाज्ञाा, या किसी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण की तरफ से जारी किसी आदेश के बावजूद, राज्य आयोग या आयोग की पीठ/बेंच आदेश जारी कर सकता है :

क/ राज्य सरकार को इसलिए बाध्य करे कि वह किसी व्यक्तिगत संकटग्रस्त किसान जैसा कि राज्य आयोग ने खुद घोषित किया है, उसके समूचे कर्जे का भुगतान कर्जदाता को /निजी या संस्थागत/ करे ;

ख/ छोटी कालावधि के कर्जों को मध्यम कालावधि के कर्जों में शून्य सूद दर पर और मध्यम कालावधि के कर्जों को लम्बी कालावधि के लिए अधिक से अधिक दो फीसदी सूद की दर पर पुनर्निर्धारित करे, ऐसे कर्जों के मामलों में जहां किसान ने संस्थागत कर्जदाताओं से कर्ज हासिल किया हो ;

ग/ गैरनिष्पादित परिसम्पत्तियों / नानपरफार्मिंग एसेटस की श्रेणी में आनेवाले कृषिगत कर्जों के एक वक्ती निपटारे के लिए जरूरी प्रावधान करे, जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दिशानिर्देशों के हिसाब से हो, बशर्ते किसान ऐसी अदायगी के लिए तैयार हो ;

घ / ऐसा कोईभी किसान जिसने लिए कर्जों की मूलराशि लौटा दी हो, उसे कर्ज से मुक्त घोषित किया जाए ;

च/ किसान उस पर जमा कर्जों को मूलराशि को सुविधाजनक छोटे हिस्सों में बांट कर अदा करेगा, और उस पर सूद को सरकार अदा करेगी :

२३.

राज्य आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संकट प्रभावित किसान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक और निषेधाज्ञा

१. संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ – जिसका वर्णन धारा २० और धारा २२/१/ में किया गया है – किसी भी किस्म का मुकदमा कर्जे की बहाली के लिए नहीं किया जा सकेगा और न ही डिक्री पर अमल हेतु आवेदन पर अमल किया जा सकेगा, और कोईभी अपील, पुनर्विचार याचिका या किसी डिक्री या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन – किसी भी मुकदमे या आवेदन को लेकर प्रस्तुत किया जा सकेगा या किसी किसान के खिलाफ दीवानी अदालत में या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के पास पेश किया जा सकेगा और ऐसे मुकदमे, आवेदन, अपील, याचिकाएं जिन्हें किसान के खिलाफ उस तारीख से पहले दर्ज हुई होंगी जब जिले या उसके हिस्से को संकट प्रभावित इलाका घोषित किया गया हो और अदालत के सामने लंबित होंगी, उन पर तत्काल स्थगनादेश होगा, इतनी कालावधि तक जैसा कि राज्य आयोग उसकी तरफ से सिफारिश करे;

२. धारा २० और धारा २२/१/ में वर्णित संकट से प्रभावित किसान के खिलाफ, कर्जे की वसूली के लिए, कोईभी नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई दमनात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक तौर पर लज्जित करना संभव होगा।

२४

पारदर्शी कार्यप्रणाली और राज्य विधानसभा के सामने वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति

१. राज्य आयोग सभी सम्बधित सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा – जिसमें शामिल होंगे कितने आवेदनपत्रों पर गौर किया गया, कितने अधिनिर्णय/पंचाट पारित किए गए, मीटिंगों की या बैठकों की कार्यसूची एवं कार्रवाई और ऐसी ही अन्य सामग्री;

२. राज्य आयोग इस अधिनियम के तहत अपने कामों की उपरोक्त साल की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे

राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा – ऐसे रूप में और ऐसी तारीख तक जिसे निर्धारित किया गया हो।

३. आयोग द्वारा उपधारा /२/ के अन्तर्गत प्रस्तुत सालाना रिपोर्ट को राज्य सरकार के सामने पेश किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके राज्य विधानसभा के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा

२५.

राज्य आयोग से जुड़ा लेखा जोखा और ऑडिट

१. राज्य आयोग उचित ढंग से लेखाजोखा रखेगा और अन्य जरूरी रेकार्ड भी संभाल कर रखेगा और खातों का साल दर साल वार्षिक वक्तव्य तैयार करेगा, ऐसे रूप में जैसा कि निर्धारित किया गया हो

२. राज्य आयोग के हिसाब किताब का सालाना आडिट किया जाएगा और आडिट की रिपोर्ट को संसद के सामने पेश किया जाएगा।

अध्याय ७

केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां

२६.

केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां

१. एक बारगी कर्जामुक्ति तथा सालाना आधार पर अधिनिर्णयों को लागू करने और – राष्टीय और राज्य – आयोगों के आदेशों पर गौर करने के लिए सरकार अपने पास पर्याप्त वित्तीय वित्तीय संस्थान जुटा रही है

क / प्रस्तुत अधिनियम के तहत ऐसे वित्तीय संसाधन ऐसे परिवारों की राहत और सहायता के लिए एकत्रित हो रहे हैं जहां पूर्व के पांच सालों में – जबसे यह अधिनियम बना है – किसानी में खुदकुशी के तमाम मामले आए हैं

ख/ इस लागत का एक हिस्सा क्रेडिट गारंटी फंड के तौर पर पटटेदार किसानों के लिए रखा जाएगा ताकि संस्थागत कर्जदाताओं में भरोसा बने तथा वह पटटेदार किसानों को भी कर्जा दें और इसके अलावा लगातार आपदाओं के दौरान संस्थागत कर्जदाताओं को वित्त प्रदान करने के लिए उपयोग में आ सके।

२७.

संपत्ति एटेचमेण्ट से छूट और दंडात्मक सूद पर प्रतिबंध और अत्यधिक संचयी सूद पर पाबन्दी

१. सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी कि कुछ किस्म की संपत्ति जो कुछ कर्जों से जुड़ी होती है, को संलग्नता/एटेच करने से तथा कर्जे की गैरभुगतान के सन्दर्भ में नीलामी से बचा जाए।

२. सरकार यह अधिसूचना जारी करेगी कि फसली कर्जों पर दंडात्मक सूद पर पाबन्दी है और हर किस्म के कृषिगत कर्जे पर संचयी सूद पर पाबन्दी है और वह किसी भी रूप में कर्ज के मूल धन से अधिक नहीं होनी चाहिए – भले ही कर्जा संस्थागत कर्जदाता से लिया गया हो या निजी साहूकार से लिया गया हो।

२८.

कुछ राज्य सरकारों द्वारा माडल एक्ट का निर्माण

१. सरकार किसानों के कर्जे और संकट राहत के लिए मॉडल अधिनियम का निर्माण करेगी ताकि राज्य सरकारें उसे अपने राज्यों में भी बना सकें, या पहले से चले आ रहे अधिनियम को संशोधित कर सकें, जहां कुछ राज्यों ने राज्य स्तरीय किसान कर्ज सहायता कानून बनाया है।

२९.

प्राथमिकता आधारित ऋण देने के नियमों में सुधार और अनुपालन

१. सरकार प्राथमिकता आधारित ऋण देने के नियमों को संशोधित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता आधार पर दिए जानेवाले बैंकों के कर्जे छोटे और सीमान्त किसानों, वास्तविक खेतिहरों तक – जिनमें शामिल महिला किसान, बटाईदार, पटटेदार और आदिवासी किसान – तक पहुंच सकें और यह

भी गारंटी की जा सके कि उसके अनुपालन को रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नाबार्ड /Nabard और अन्य अग्रणी संस्थाएं सम्बोधित कर सके – जहां पुनर्वित्तीकरण की योजनाएं इसी सामंजस्य के साथ नत्थी रहें।

सुनिश्चित करना

३०.

सरकार सभी फसलों के लिए पर्याप्त और प्रभावी आपदा राहत और फसल बीमा योजनाओं पर अमल करेगी ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के वर्षों में जिसमें सूखा, बाढ़, तूफान, गैरमौसमी बारिश, ओला व्रष्टि और कीट प्रकोप, जंगली जानवरों द्वारा तबाही आदि के चलते किसान कर्ज संचित न करते जाएं, जहां बीमा का प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रभावी आपदा राहत और फसल बीमा योजना

३१.

कर्जदारी को कम करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर कम लागत पर पारिस्थितिक/इकोलोजिकल खेती को स्थापित करेगी और बढ़ावा देगी

कम लागतवाली पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा

अध्याय ६

विविध

३२.

इस अधिनियम के प्रावधान या इसके तहत बने किसी अन्य नियम या आदेश का असर होगा , भले ही किसी अन्य कानून में इससे असंगत, प्रस्तुत अधिनियम से इतर कुछ हो या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से इस अधिनियम से इतर अन्य कानून का प्रभाव हो.

अधिनियम का चतुर्दिक प्रभाव

३३.

किसी भी दीवानी अदालत के यह अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा कि वह इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के अन्तर्गत या उसके तहत बने किसी अन्य नियम से सम्बधित मसलों को तय करे, निपटाए या निर्णय ले, जिस तरह का निर्धारण केन्द्र और राज्य आयोग कर सकता है।

दीवानी अदालत का दायरा

३४.

आयोग का हर सदस्य / राष्टीय तथा राज्य स्तरीय/ जिसे नामित किया गया हो या सचिव तथा अन्य स्टाफ जिन्हें नियुक्त किया गया हो, उन्हें सार्वजनिक सेवक समझा जाएगा – जो बात भारतीय दंड संहिता १८६० / १८६० का केन्द्रीय अधिनियम ४५/ के धारा २१ के तहत स्पष्ट है।

सदस्य और स्टाफ दोनों को सार्वजनिक सेवक समझा गया

३५.

आयोग के किसी भी सदस्य के खिलाफ या सेक्रेटरी और अन्य अफसरों के खिलाफ किसी भी किस्म का मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, ऐसे कामों के लिए जो उन्होंने इस अधिनियम के तहत अच्छे इरादे से किया हो।

अच्छे इरादे से की गयी कार्रवाई के बारे में सुरक्षा

३६.

१. अगर प्रस्तुत अधिनियम के प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के रास्ते मे कठिनाइयां आती हैं तो सरकार चाहे तो, आदेश जारी करके, या जैसे अवसर की मांग हो, ऐसा कोई कदम उठा सकती है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो उन्हें जरूरी लगे ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके :

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

बशर्ते ऐसा कोईभी आदेश अधिनियम के लागू होने के दो साल बाद नहीं दिया जा सकेगा।

२. इस सेक्शन के तहत हर आदेश को संसद के सामने रक्खा जाएगा।

३७.

नियम बनाने का अधिकार

१. सरकार चाहे तो, राजपत्र में जारी अधिसूचना के जरिए, नियमों को बना सकती है ताकि अधिनियम के प्रावध ानों का कार्यान्वयन हो सके।

२. राज्य सरकारें राजपत्र में राज्य विशिष्ट नियमों को अधिसूचित कर सकती हैं ताकि राज्यों में अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों का कार्यान्वयन हो सके।

३. इस भाग में बना हर नियम, जितना जल्दी हो सके, संसद के सामने रखा जाएगा, जबकि वह कुल चौदह दिनों के सत्र के लिए आहूत हो, – जो भले ही एक सत्र में हो या एक के बाद एक दो सत्रों में हो और अगर सत्र की समाप्ति के पहले जिसमें उसे पेश किया गया और दूसरे सत्र की समाप्ति के पहले संसद इसमें कुछ संशोधन करती है या यह तय करती है कि इन नियमों को नहीं बनाया जाएगा, तो इन नियमों का प्रभाव इसी संशोधित रूप में होगा या नहीं होगा, जैसा कि तय होता है ; लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे किसी संशोधन या विलोपन का प्रभाव संशोधित नियम के तहत किए पहली कार्रवाई पर नहीं होगा।

उददेश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य

राष्ट किसानों का ऋणी है कि वह अन्न सुरक्षा और अन्न संप्रभुता में योगदान देते हैं। उनके योगदान के बावजूद, हजारों किसान हर साल खुदकुशी करते हैं और लाखों किसान ऋणग्रस्तता के चलते संकट में रहते हैं। सरकार इसके लिए बाध्य है कि किसान आत्महत्या और उनके संकट को रोके, खासकर इस वजह से क्योंकि उनके कारण सरकारी नीतियों से जुड़े हैं। खेती के मालों की कीमतें नीतिगत कदम के तौर पर कमसे कम रखी गयी हैं और राष्टीय किसान आयोग की यह सिफारिश की उत्पादन की समग्र कीमत पर कमसे कम ५० फीसदी लाभ/प्रतिफल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए, इसे पिछले बारह साल से लागू नहीं किया गया है, जिसने किसानों की आय बुरी तरह प्रभावित किया है और कर्जदारी को बढ़ावा दिया है।

व्यापक संस्थागत जमा धन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है, ताकि किसानों की विभिन्न श्रेणियों जैसे काश्तकार किसान, महिला किसान और आदिवासी किसान को पूरी मान्यता दी जा सके और उनका पूर्ण समावेश किया जा सके, ताकि प्रभावी फसल बीमा और प्रभावी राहत कार्यों को अमल में लाया जा सके, ताकि लागत कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके, ताकि कम कीमत वाली दीर्घकालिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके और अवरचना का निर्माण किया जा सके। इन असफलताओं के चलते किसानों को प्रचंड नुकसान हुआ है, जिसने संस्थागत और निजी देनदारों के चंगुल में फंसने का खतरा पैदा हुआ है। बढ़ती प्राकतिक आपदाओं और पर्यावरण बदलाव के सन्दर्भ में, आपदा के दिनों में कर्ज के शिकंजे से बचने के लिए किसानों को अपने आप सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। संविधान की धारा २१ के तहत जीवन के अधिकार को हासिल करने के लिए जीवनयापन के अधिकार की सुरक्षा जरूरी है।

ऐसे किसान, जो कर्जदारी के चलते संकट में हैं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए, विधेयक में तत्काल और पूर्ण ऋणमुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसान फिर एक बार कर्जदार न बने, उसे रोकने के लिए, विध ेयक में व्यवस्थागत बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं ताकि सभी किसानों को संस्थागत कर्ज के दायरे में लाया जा सके जहां सूद की दर शून्य फीसदी हो और आपदाओं के मामलों में विशेष ऋण राहत दी जा सके। किसान संकट और आपदा राहत आयोगों का गठन राष्टीय और राज्य स्तर पर किया जाएगा ताकि वह

संकटग्रस्त इलाकों और संकटों से प्रभावित फसलों को लेकर राहत कार्यों की सक्रियता से सिफारिश कर सके और कर्जदार किसानों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए पंचाट/अधिनिर्णय को पारित कर सकें। बिल सरकार को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह प्रभावी आपदा राहत और फसल बीमा के लिए तथा कम कीमत वाले पारिस्थितिक/इकोलोजिकल खेती के लिए कदम उठाए, और इसके अलावा किसानी खुदकुशी से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष सहायता प्रदान करे। जलवायु परिवर्तन के चलते कर्जदारी और अधिकाधिक बढ़ती प्राकृतिक आपदा के मामले देश के विभिन्न राज्यों में समान हैं, जरूरत आ पड़ी है कि इस समस्या को सम्बोधित करने के लिए राष्टीय कानून बनाया जाए और ऋणग्रस्तता से सुरक्षा के लिए आवश्यक राहत और संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाए। इस बात को मददेनज़र रखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सूची की प्रविष्टि ४५ और राज्य सूची की प्रविष्टि ३० में सामंजस्यीकरण का निर्देश दिया है, प्रस्तुत विधेयक राज्य सरकारों के सहयोग से एक राष्टीय ढांचा पेश करता है, ताकि राष्टीय और राज्य स्तर पर संकट में राहत पर अमल किया जा सके तथा उसके लिए केन्द्र से पर्याप्त संसाधन सहायता उपलब्ध हो।

इसलिए यह बिल !

के के रागेश

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक की धारा ३ अन्य बातों के साथ फौरी एक वक्ती कर्जमुक्ति के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करती है।

विधेयक की धारा ४ अन्य बातों के साथ सभी किसानों को संस्थागत कर्जे के दायरे में लाने के लिए केन्द्र सरकार को पर्याप्त धनराशि का प्रबंधान करती है ताकि वह उत्पादन के लिए शून्य प्रतिशत सूद की दर पर कर्जा हासिल कर सकें और आपदा के वक्त में कर्जा पुनर्निर्धारित करने, उसके लिए राहत पाने या कर्जामुक्ति भी पा सके।

विधेयक की धारा ५ राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग के गठन का प्रावधान प्रस्तुत करती है और खर्चे को भी सुनिश्चित करती है।

धारा २६, जिन परिवारों में किसानों ने आत्महत्या की है, उनको राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करती है ताकि आयोगों /राष्टीय और राज्य/ द्वारा पारित पंचाट और आदेशों को लागू किया जा सके और संस्थागत कर्जे के दायरे में पटटेदार/किरायेदार का समावेश करने के लिए कर्जा गारंटी फंड का प्रबंधन हो सके।

धारा ३० पर्याप्त और प्रभावी आपदा राहत और फसल बीमा योजनाओं के लिए प्रावधान करती है।

धारा ३१ कम कीमत पर पारिस्थितिक/इकोलोजिकल खेती की स्थापना और बड़े पैमाने पर उसके बढ़ावे के लिए प्रावधान करती है।

इसलिए, यह विधेयक, अगर अमल में लाया गया, उसमें कन्सालिडेटेड फंड आफ इंडिया से खर्चों का इन्तज़ाम शामिल होगा। अलबत्ता, इस अवस्था में यह जानना संभव नहीं है कि इस मकसद के लिए आवर्ती /रिकरिंग और गैरआवर्ती खर्चों के लिए निश्चित कितनी रकम जरूरी होगी।

प्रत्यायोजित विधेयक के बारे में ज्ञापन

१. धारा ३ की उपधारा १ केन्द्र सरकार को यह बाध्य करती है कि वह कई कदमों के जरिए तत्काल कर्जा मुक्ति के काम को हाथ में ले।

२. धारा ३ की उपधारा ६ केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसानों के तमाम निजी कर्जों को शून्य और निरर्थक घोषित कर दे और निजी लेनदारों/साहूकारों के लिए नियम बनाए कि वह जहां योग्य हो वहां सरकार से राहत हासिल करे।

३. धारा ६ केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह राष्टीय किसान संकट और आपदा राहत आयोग का गठन करे।

४. विधेयक की धारा ७ की उपधारा १ केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि जहां जरूरी हो, वहां वह आयोग की शर्तों का विस्तार करे, और आयोग का पुनर्गठन करे।

५. विधेयक की धारा ७ की उपधारा ४ केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने सदस्यों को हटाए।

६. धारा १६ और १७ राज्य सरकारो ंको यह अधिकार प्रदान करती है कि वह राज्य किसान संकट और आपदा राहत आयोग का गठन करे।

७. धारा १८ की उपधारा १ राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि अगर जरूरी हो तो वह राज्य आयोग का कार्यकाल बढ़ाए और हर पांच सालों पर आयोग का पुनर्गठन करती रहे।

८. धारा ३६ की उपधारा १ केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह बाधाओं को दूर करने के लिए आदेश जारी करे।

९. धारा ३७ की उपधारा १, दरअसल इस सम्बन्ध में है कि कौन से नियम बनाए जा सकते हैं या अधिसूचना जारी की जा सकती है, जो सारतः विवरण और प्रक्रिया के मामले हैं। विधायी अधिकारों को दे देना, इसलिए एक आम बात है।